न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बरः 178/2022

वादी –

महावीर पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम जवानपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. विजयलक्ष्मी पुत्री रघुनाथ उम्र 32 वर्ष जाति गुर्जर
2. राधादेवी पत्नि रघुनाथ उम्र 68 वर्ष निवासीयान ग्राम जवानपुरा तहसील नावां।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादी
श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक :– 28.07.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्वर्गीय रघुनाथ के वंशज वारिसान है। राजस्व ग्राम जवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 254 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.27 हैक्टर कुल रकबा 1.95 हैक्टर व राजस्व ग्राम मानपुरा के नवीन खसरा नम्बर 268 रकबा 1.71 हैक्टर स्थित रही है। उपर्युक्त आराजी पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा व ससुर पदमाराम के कब्जा काश्त में रही थी। पदमाराम जी के तीन पुत्र क्रमशः रघुनाथ, नानूराम व लादूराम हुये। परन्तु लादूराम को अन्य भूमियों में हिस्सा दे देने के कारण इस आराजी में लादूराम का हिस्सा नहीं रहा। हस्तगत आराजी में पदमाराम के पुत्र रघुनाथ व नानूराम का ही हिस्सा रहा। पदमाराम जी मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत करते समय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व पति का नाम भूल एवं सहवन से रघुनाथ की बजाय मुह बोलता नाम जगनाथ दर्ज हो गया जो एक लिपिकीय भूल में शुमार है। जबकि अन्य दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण पत्र, विद्युत विभाग के बिल, परिवार राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, बचत बैंक खाता व अन्य सभी दस्तावेजात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति व पिता का नाम रघुनाथ दर्ज चला आ रहा है। तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व पति रघुनाथ की मृत्यु होने पर भूल व सहवन से वादी की माता का नाम राधादेवी की जगह मुह बोलता नाम राधादेवी पत्नि जगनाथ व वादी एवं उसकी बहिन विजयलक्ष्मी के पिता का नाम भी जगनाथ दर्ज हो गया जो एक सहवन भूल में शुमार है। जबकि वादी का वास्तविक नाम महावीर पुत्र रघुनाथ व वादी की माता प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:33:49 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

संख्या 2 का वास्तविक नाम राधादेवी पत्नि रघुनाथ तथा वादी की बहिन प्रतिवादी संख्या 1 का वास्तविक नाम विजयलक्ष्मी पुत्री रघुनाथ है। वादी की माता के सभी दस्तावेजो मे सही एवं वास्तविक नाम राधादेवी पत्नि रघुनाथ दर्ज चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत अंकन के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपनी भूमि के उपयोग व उपभोग में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज भूमि की रिकॉर्ड दुरुस्ती करवाने के कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रघुनाथ के वारिस होने से तथा प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिनिधि सरकार होने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण है। राजस्व ग्राम जवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 254 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकवा 0.27 हैक्टर कुल रकवा 1.95 हैक्टर व राजस्व ग्राम मानपुरा के नवीन खसरा नम्बर 268 रकवा 1.71 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम जगनाथ की जगह रघुनाथ व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गौरादेवी पत्नि जगनाथ की जगह राधादेवी पत्नि रघुनाथ दर्ज करने की डिक्री जारी कर इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल हेतु तहरीर तहसीलदार नावां को जारी करने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने इकबाली जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 254 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकवा 0.27 हैक्टर कुल रकवा 1.95 हैक्टर व राजस्व ग्राम मानपुरा के नवीन खसरा नम्बर 268 रकवा 1.71 हैक्टर स्थित रही है। पदमाराम जी मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत करते समय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व पति का नाम भूल एवं सहवन से रघुनाथ की बजाय मुह बोलता नाम जगनाथ दर्ज हो गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व पति रघुनाथ की मृत्यु होने पर भूल एवं सहवन से उत्तरदाता राधादेवी की जगह मुह बोलता नाम गौरादेवी पत्नि जगनाथ व वादी व उत्तरदाता विजयलक्ष्मी के पिता का नाम भी जगनाथ दर्ज हो गया जो एक सद्भावी भूल में शुमार है। जबकि वादी का वास्तविक नाम महावीर पुत्र रघुनाथ व उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 2 का वास्तविक नाम राधादेवी पत्नि रघुनाथ तथा उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 1 का वास्तविक नाम विजयलक्ष्मी पुत्री रघुनाथ है। वादी के वाद पत्र के साथ उत्तरदातागण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज भूमि की रिकॉर्ड दुरुस्ती करवाने का निवेदन किया। तत्पश्चात तहसीलदार नावां से उक्त प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार नावां ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जवानपुरा के खसरा नम्बर 254, 256 व ग्राम मानपुरा के खसरा नम्बर 268 के राजस्व रिकॉर्ड में गौरादेवी पत्नि जगनाथ, महावीर पुत्र जगनाथ, विजयलक्ष्मी पुत्री जगनाथ जाति गुर्जर दर्ज है। जबकि राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, विद्युत बिल, बैंक डायरी में खातेदारों का नाम राधादेवी पत्नि रघुनाथ, महावीर पुत्र रघुनाथ व विजयलक्ष्मी पुत्री रघुनाथ जाति गुर्जर है। उपस्थित मौतबिरान जिसमें एक स[illegible] रामचन्द्र पुत्र नानूराम ने बताया कि सभी खातेदार एक ही परिवार के हैं [illegible] सुधार किया जाना उचित है। तहसीलदार नावां मय नायब तहसीलदार [illegible] निरीक्षक मारोठ, पटवारी श्यामगढ़ ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम वाद पत्र अनुसार दुरुस्त करने हेतु की अनुशंषा की। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी महावीर, पी.डब्ल्यू. 2 प्रतिवादी संख्या 2 एवं

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:33:49 IST
Reason: SelfAttested

पी.डब्ल्यू. 3 गवाह रामचन्द्र पुत्र नानूराम जाति गुर्जर निवासी जवानपुरा तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के पेश किये।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व ग्राम जवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 254 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकवा 0.27 हैक्टर कुल रकबा 1.95 हैक्टर व राजस्व ग्राम मानपुरा के नवीन खसरा नम्बर 268 रकवा 1.71 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम जगनाथ की जगह रघुनाथ व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गौरादेवी पत्नि जगनाथ की जगह राधादेवी पत्नि रघुनाथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि के खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के है। उक्त खातेदारों का नाम राधादेवी पत्नि रघुनाथ, महावीर पुत्र रघुनाथ व विजयलक्ष्मी पुत्री रघुनाथ किया जाना उचित बताया है। इसलिए वादी के वाद पत्र, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इकबाली जवाब मय काउंटर, सलंग्न दस्तावेजात व पी.डब्ल्यू.1 से पी.डब्ल्यू.3 तथा तहसीलदार नावां की रिपोर्ट मय नायब तहसीलदार मारोठ, भू.अ. निरीक्षक मारोठ, पटवारी श्यामगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्व ग्राम जवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 254 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.27 हैक्टर कुल रकबा 1.95 हैक्टर व राजस्व ग्राम मानपुरा के नवीन खसरा नम्बर 268 रकबा 1.71 हैक्टर भूमि में वादी नाम महावीर पुत्र जगनाथ की जगह महावीर पुत्र रघुनाथ, प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विजयलक्ष्मी पुत्री जगनाथ की जगह विजयलक्ष्मी पुत्री रघुनाथ एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गौरादेवी पत्नि जगनाथ की जगह राधादेवी पत्नि रघुनाथ किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम जवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 254 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकवा 0.27 हैक्टर कुल रकबा 1.95 हैक्टर व राजस्व ग्राम मानपुरा के नवीन खसरा नम्बर 268 रकवा 1.71 हैक्टर भूमि में वादी का नाम महावीर पुत्र जगनाथ की जगह महावीर पुत्र रघुनाथ, प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विजयलक्ष्मी पुत्री जगनाथ की जगह विजयलक्ष्मी पुत्री रघुनाथ एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गौरादेवी पत्नि जगनाथ की जगह राधादेवी पत्नि रघुनाथ दुरूस्त कर घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:33:49 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी।
नावां (नागौर)

अदालतः— **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.**

अज अदालत :— श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादी —

महावीर पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम जवानपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. विजयलक्ष्मी पुत्री रघुनाथ उम्र 32 वर्ष जाति गुर्जर
2. राधादेवी पत्नि रघुनाथ उम्र 68 वर्ष निवासीयान ग्राम जवानपुरा तहसील नावां।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 178 / 2022 **निर्णय दिनांक :—** 28.07.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादी एवं श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम जवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 254 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.27 हैक्टर कुल रकबा 1.95 हैक्टर व राजस्व ग्राम मानपुरा के नवीन खसरा नम्बर 268 रकबा 1.71 हैक्टर भूमि में वादी का नाम महावीर पुत्र जगनाथ की जगह महावीर पुत्र रघुनाथ, प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विजयलक्ष्मी पुत्री जगनाथ की जगह विजयलक्ष्मी पुत्री रघुनाथ एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गौरादेवी पत्नि जगनाथ की जगह राधादेवी पत्नि रघुनाथ दुरूस्त कर घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.2023 को जारी की गई।

मुहर [उपखण्ड अधिकारी नावां(नागौर)]

दस्तखतः [signature]

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:33:49 IST
Reason: SelfAttested